

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003062012

दांडिक प्रकरण क.-272 / 12

संस्थापित दिनांक-20.07.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-रामदास पुत्र प्यारेलाल कुशवाह आयु 42 वर्ष 02-अजयसिंह पुत्र हरिराम कुशवाह आयु 20 वर्ष निवासीगण फतेहावाद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 06.02.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294,323,506,452,34,325 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 325/34,323/34 एवं 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 452 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी जयराम ने दिनांक 01.05.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 01.05.12 समय 21:00 बजे फरियादी के घर फतेहाबाद, चंदेरी में आरोपीगण अंदर आ गये एवं कुल्हाड़ी से मारपीट की गई और अश्लील गालियां दी गई। आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 294,323,452,506,325 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 506बी, 452,325/34,323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक दिनांक 01.05.12 को समय 21:00 बजे फतेहाबाद चंदेरी कस्बा फरियादी के घर पर फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से उसके घर में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एस.पी. सिद्धार्थ, अ.सा.2 जयराम, अ.सा.3 समरथ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 जयराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था एवं झूमा झटकी हो गई थी। अ.सा.2 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी02 लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उसके घर में घुस आए थे जथा उसके साथ गाली गलोच एवं मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.3 समरथ ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण उसके घर में घुस आए थे। अ.सा.3 के अनुसार घर के बाहर उनकी आरोपीगण से झूमा झटकी हुई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है।

09— अ.सा.1 डॉ. एस पी सिद्धार्थ ने अपने कथन में घटना दिनांक को आहत समरथ का मेडिकल परीक्षण करना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आहत समरथ को सात चोटें आई थी। उल्लेखनीय है कि आहत समरथ ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उनकी मात्र झूमा झटकी हुई थी। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण ने फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा.2 एवं अ.सा.3 ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण घटना दिनांक को उनके घर में घुस आए थे। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में मामले के फरियादी एवं आहत दोनों के द्वारा इस बात से इंकार करना कि घटना दिनांक को आरोपीगण उनके घर में अपराध करने के आशय से घुसे थे, से स्वतः ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना

दिनांक को फरियादी के घर में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया गया।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

13— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)